मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

मंत्रालय

भोपाल, दिनांक 21 अगस्त 1995

क्रमांक बी-6/1/92/पी.डब्ल्यू.सी./चार

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समस्त संभागीय कमिश्नर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय:--सेवानिवृत्ति के बाद विवाहित पति/पत्नी और उनसे पैदा बच्चों को परिवार पेंशन की मंजूरी.

राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि राज्य के पेंशनरों को सेवानिवृत्ति के बाद विवाहित पति/पत्नी (Post-retiral spouse) और उनसे उत्पन्न बच्चों को परिवार पेंशन प्राधिकृत की जाये. इसलिए राज्य शासन ने अपनी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 21 जुलाई, 1995 द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के नियम, 47 के उप-नियम (14) से शब्द "Provided the marriage took place before the retirement of the Government servant" को विलोपित कर दिया है. इसके अलावा नियम 47 (14) (बी) (ii) के नीचे के नोट (जिसमें सेवानिवृत्ति के बाद पैदा बच्चे को परिवार पेंशन की पात्रता न होने का उल्लेख था) को भी विलोपित कर दिया गया है.

2. इस प्रकार के परिवार पेंशन प्राधिकृत करने के लिये निम्नानुसार प्रक्रिया का पालन किया जायेगा:--

(1) जब भी कोई पेंशनर सेवानिवृत्ति के बाद विवाह/पुर्नविवाह करता/करती है तो उसे इसकी सूचना निर्धारित प्रपत्र में उस कार्यालय प्रमुख को देना होगी जहां से वह सेवानिवृत्त हुआ था/ हुई थी. उसे आवेदन के साथ सेवानिवृत्ति के बाद अपने विवाह/पुर्नविवाह के संबंध में रजिस्ट्रार या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी विवाह प्रमाण-पत्र की एक सत्यापित प्रति लगाना आवश्यक है.

(2) ऐसा आवेदन मिलने पर कार्यालय प्रमुख जहां आवश्यक हो वहां समुचित सत्यापन करने के पश्चात् आवेदन-पत्र को संबंधित संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन अथवा महालेखाकार (जैसी भी स्थिति हो) को भेजेगा. भेजते वक्त मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम 47 (7) (बी) के प्रावधानों को ध्यान में रखा जावेगा.

(3) संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन अथवा महालेखाकार द्वारा संबंधित पेंशन संवितरण अधिकारी को संशोधन-पत्र जारी किया जावेगा, जिसकी सूचना संबंधित पेंशनर को भी दी जावेगी.

(4) अगर पेंशनर की पहली शादी से कोई पात्र बच्चा जिंदा नहीं है तो सेवानिवृत्ति के बाद विवाहित पति/पत्नी (Post-retiral spouse) अगर कोई है, को पूरी परिवार पेंशन प्राप्त होगी.

(5) अगर पेंशनर की पहली शादी से कोई पात्र बच्चा/बच्चे हैं तो पेंशन मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन नियम) 1976 के नियम 47 (7) (बी) के तहत विभागजित होगी.

(6) जहां तक बच्चों का संबंध है, जिसमें सेवानिवृत्ति के बाद जन्म लेने वाले बच्चे भी सम्मिलित हैं, जैसे-जैसे बच्चों को परिवार पेंशन की पात्रता आयेगी; वैसे-वैसे यथा समय, परिवार पेंशन संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन/महालेखाकार द्वारा प्राधिकृत की जावेगी. पिता की मृत्यु के बाद पैदा हुए बच्चे (Posthumous child) को भी पारिवारिक पेंशन की पात्रता रहेगी.

3. यह स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश उन पेंशनरों पर भी लागू होगा जिनकी शादी यह आदेश जारी होने के पहले हुई है.

4. विवाद की स्थिति में संभागीय कमिश्नर का निर्णय अंतिम होगा.

5. यह निर्देश मध्यप्रदेश संवर्ग के अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों पर लागू नहीं होंगे क्योंकि उनके मामले मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम के बजाय अखिल भारतीय सेवाएं (डी. सी. आर. बी.) नियमों के तहत शासित होते हैं.

हस्ता./-
(ए. एन. अस्थाना)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.

पृष्ठांकन क्रमांक. बी-6/1/92/पी.डब्ल्यू.सी./चार

भोपाल, दिनांक 21 अगस्त, 1995

प्रतिलिपिः--

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव/सैनिक सचिव, भोपाल.
2. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.
3. सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल.
4. सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इंदौर.
5. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल.

---

6. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा), भोपाल.
7. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (अधीक्षण शाखा), भोपाल.
8. मुख्य लेखाधिकारी, वल्लभ भवन, भोपाल.

---

9. प्रांताध्यक्ष, म. प्र. राजपत्रित अधिकारी संघ, कार्यालय, 110/18, शिवाजी नगर, भोपाल.
10. प्रांताध्यक्ष, म. प्र. तृतीय वर्ग शा. कर्मचारी संघ, कार्यालय, 85/16, तुलसी नगर, भोपाल.
11. प्रांताध्यक्ष, म. प्र. लघुवेतन कर्मचारी संघ, कार्यालय-12/5, साउथ टी. टी. नगर, भोपाल.
12. प्रमुख महामंत्री, म. प्र. शिक्षक कांग्रेस, कार्यालय, 6/45 बंगले, नार्थ टी. टी. नगर, भोपाल.
13. महामंत्री, म. प्र. राज्य कर्मचारी संघ, कार्यालय, 48/26, साउथ टी. टी. नगर, भोपाल.
14. प्रांताध्यक्ष, म. प्र. कर्मचारी कांग्रेस, कार्यालय, 98/48, तुलसी नगर, भोपाल.
15. प्रांताध्यक्ष, म. प्र. अनुसूचित जाति, जनजाति, अधिकारी/कर्मचारी संघ, कार्यालय 83/85 तुलसी नगर, भोपाल.
16. पेंशनर कल्याण मंडल के सभी सदस्य.

---

17. महालेखाकार (लेखा और हकदारी)/(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश, ग्वालियर/भोपाल.

---

18. सभी संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश.
19. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश.
20. सभी कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश.

हस्ता./-
(ए. एन. अस्थाना)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन.

सेवानिवृत्ति के बाद विवाह/पुनर्विवाह की स्थिति में पति/पत्नी और उससे पैदा बच्चों को परिवार पेंशन प्राधिकृत करने के लिये आवेदन-पत्र

(यह आवेदन तीन प्रतियों में उस कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत किया जावेगा जहां से पेंशनर सेवानिवृत्त हुआ हो)

प्रति,

....

....

....

(कार्यालय प्रमुख का पदनाम)

महोदय/महोदया,

मैं, यह सूचित करता हूं कि मैंने दिनांक .... को विवाह/पुनर्विवाह किया है. मेरे पी. पी. ओ. में इंद्राज करने के लिये, आवश्यक विवरण निम्नानुसार है :--

1. पेंशनर का नाम (जैसा कि पी पी ओ पर अंकित है) ....
2. सेवानिवृत्ति का दिनांक ....
3. सेवानिवृत्ति के समय धारित पद ....
4. (1) पी पी ओ क्रमांक व दिनांक ....
   (2) पी पी ओ प्राधिकृत करने वाले अधिकारी का पदनाम ....
5. पता:--
   (1) स्थाई पूर्ण पता ....
   (2) पत्र व्यवहार का पता ....
6. पेंशन संवितरण अधिकारी का विवरण:--
   (1) स्थान ....
   (2) कोषालय/उप-कोषालय अथवा बैंक का विवरण ....
7. (अ) पूर्व परिवार का पूर्ण विवरण जो सेवानिवृत्ति के समय प्रेषित किया गया था:-- ....

स. क्र.	परिवार के सदस्य का नाम तथा पता	पेंशनर से सम्बन्ध	पुत्रियों के संबंध में वैवाहिक स्थिति	जन्म दिनांक	क्या ऐसे बच्चा/बच्चे विकलांग हैं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

(कृपया विकलांगता प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतियां संलग्न करें.)

(ब) अगर आवेदन-पत्र सेवानिवृत्ति के पश्चात विवाहित पति/पत्नी के लिये है तो पहले पति/पत्नी की मृत्यु अथवा उससे तलाक का दिनांक. ....

(कृपया मृत्यु प्रमाण-पत्र/तलाक की डीकी की सत्यापित प्रति संलग्न की जावे)

8. सेवानिवृत्ति के बाद विवाह के पति/पत्नी का नाम ....

(कृपया विवाह के प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति और तीन प्रतियों में अभिप्रमाणित संयुक्त फोटो संलग्न करें)

9. सेवानिवृत्त के बाद पैदा बच्चों का विवरण :--

स. क्र.	सेवानिवृत्ति के बाद के परिवार के सदस्यों के नाम तथा पते	पेंशनर से सम्बन्ध	जन्म दिनांक	क्या बच्चा विकलांग है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(कृपया जन्म प्रमाण-पत्र तथा विकलांग प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतियां संलग्न करें)

10. सत्यापन--

मैं प्रमाणित करता/करती हूं कि ऊपर दिया गया विवरण सही है.

पेंशनर के हस्ताक्षर ....

नाम ....

स्थान ....

दिनांक ....

अभिप्रमाणित:--

1. **(1) हस्ताक्षर** ....

   (2) नाम ....

   (3) पूरा पदनाम ....

   और कार्यालय का पूरा पता ....

2. **(1) हस्ताक्षर** ....

   (2) नाम ....

   (3) पूरा पदनाम ....

   और कार्यालय का पूरा पता ....

टीप:--अभिप्रमाणिकरण दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा किया जावेगा.